मो0 सौहेल भा0 प्र0 से0 जिलाधिकारी मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2016 को विधुत विभाग की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थिति पंजी के अनुसार</u>

<u>कार्यवाही :-</u>

(2) **मीटर इन्स्टॉलेशन**

समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता (विधुत) ने प्रतिवेदित किया कि LTIS,NDS-2, NDS-1,तथा DS-2 वर्गो (Category) के खराब/जर्जर/जले मीटरों को शत प्रतिशत बदल दिया गया है,तथा इन सभी वर्गो में शत प्रतिशत रीडिंग की जा रही है।

निदेश दिया गया कि मासिक प्रतिवेदन में प्रत्येक सेक्शन के कनिय अभियंता इस केटेगरी में राजस्व प्राप्ति की तुलनात्मक विवरणी विगत माह से वर्त्तमान माह तक प्रतिवेदित करेगें। निदेश दिया गया कि शत प्रतिशत मीटर रीडिंग, शत प्रतिशत विलिंग तथा शत प्रतिशत राजस्व वसूली की जाए, ताकि राजस्व प्राप्ति में गुणात्मक वृद्धि प्राप्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त DS-1 केटेगरी में भी कनीय अभियंता को प्रत्येक माह 1200 मीटर बदलने का लक्ष्य दिया गया। (अनुपालन-कार्यपालक अभियंता (विधुत/कनीय अभियंता)

(3) **राजस्व वसूली**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली का प्रतिशत मात्र 50.95% है, जिस पर खेद व्यक्त किया गया। निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता कार्य में लापरवाही बरतने वाले कनीय अभियंता को चिन्हित करते हुए, अग्रेतर कार्रवाई कर जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित करें। (अनु0-कार्य0/सहायक अभियंता)

(4) **बिलिंग**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कनीय अभियंता उदाकिशुनगंज तथा कनीय अभियंता बिहारीगंज के द्वारा मीटर रीडिंग के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 54.4% तथा 64.7% मीटर रीडिंग किया गया है। यह स्थिति दर्शाता है कि कनीय अभियंता अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। निदेश दिया गया कि कनीय अभियंता उदाकिशुनगंज तथा कनीय अभियंता बिहारीगंज के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई 24 घंटे के अंदर की जाए।

सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं के मीटरों का शत प्रतिशत रीडिंग की जाए तथा सुनिश्चित किया जाय कि शत प्रतिशत बिल उनके पास पहुँचे। (अनु0-कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंता)

(5) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विधुत विच्छेदन की संख्या के लक्ष्य 1715 के विरूद्ध मात्र 431 उपभोक्ताओं का विधुत विच्छेदन किया गया है। यह अत्यंत ही खेदजनक स्थिति है। कार्यपालक अभियंता (विधुत) के द्वारा विधुत कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।

निदेश दिया गया कि वे मासिक प्रतिवेदन में अतिरिक्त दो कॉलम अंकित करेगें (1) सेक्शन के कुल उपभोक्ताओं की संख्या (2) विगत तीन माहो से कितने उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं जमा किया है, ताकि बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध प्रभावकारी कार्यवाई की जा सके। (अनु0-कार्य0 अभियंता)

(6) **छापामारी/प्राथमिकी**

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि छापामारी तथा प्राथमिकी की कुल संख्या 122 है। यह स्पष्ट नहीं है कि छापेमारी की संख्या कितनी है, तथा प्राथमिकी की संख्या कितनी है, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि **मासिक प्रतिवेदन में छापेमारी की संख्या तथा प्राथमिकी की संख्या को अलग-अलग कॉलम में दर्शाया जाए। छापेमारी की संख्या का विवरण विधुत उपभोक्ता की केटेगिरी (LTIS/NDS/DS-2) के अनुसार दिया जाए।** (अनु0- कार्य0 अभियंता)

(7) **प्रोजेक्ट कार्य**

कार्यपालक अभिंयता (परियोजन) तथा सहायक अभियंता (परियोजन) विभागीय बैठक में भाग लेने के कारण अनुपस्थित है।

उपस्थित टेक्नोफैब के कर्मी ने बताया कि ग्रामीण विधुतीकरण का प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित तिथि (दिसम्बर 16 तक) के अनुरूप पूरा हो जायेगा। निदेश दिया गया कि कार्य को निर्धारित तिथि से पूर्व हर हाल में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि विधुत संबंध से छूटे हुए बी0 पी0 एल0 परिवारों/गाँवो को विधुत संबंध दिसंबर 2016 तक शत प्रतिशत दिया जाय। बी0 पी0 एल0 परिवारों को विधुत संबंध कैसे देना है वे इसकी कार्ययोजना बनाकर जिला पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर देना सुनिश्चित करेगें। (अनु0-कार्य अभियंता (परियोजना)

(8) **अन्यान्य**

(1) **विधुत विपत्र का बैंको के शाखा में भुगतान**

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि मधेपुरा जिला अंतर्गत सभी RBI से मान्यता प्राप्त बैंको में उपभोक्ताओं के द्वारा बिल का भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कार्यपालक अभियंता इस कार्य व्यवस्था को 31.10.16 तक पूरा कर लेगें ताकि दिनांक 01.11.16 से बैंको के शाखाओं में भी विधुत विपत्र का भुगतान उपभोक्ता सीधे कर सके।

(2) **ग्रामीण फ्रेचांईजी (RRF) का भुगतान**

उपस्थित कनीय अभियंताओं के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण फ्रेंचाईजी के द्वारा बिल वितरण/राजस्व प्राप्त करने में रूचि नहीं दिखायी जाती है। इसका कारण उन्होने बताया कि ग्रामीण फ्रेचाईजी का भुगतान विगत कई महीनों से लंबित है। इस पर जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता से पृच्छा की गई पर वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

निदेश दिया गया कि वे ग्रामीण फ्रेचाईजी (RRF) का भुगतान कंपनी के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप करें। यदि भुगतान संभव नहीं है तो इस संबंध में कारण दर्शाते हुए कार्यपालक अभियंता विधिवत् आदेश पारित करें। RRF के भुगतान की समस्या का निदान इस माह तक पूरा कर

लिया जाय, तथा सेक्शनवार/ RRF बार माह सितंबर तक के भुगतान का अंतिम प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष 5 नवम्बर तक उपलब्ध कराया जाय।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।
21/10/16

ज्ञापांक 508/वि0 मधेपुरा दिनांक 22/X/16

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता विधुत/ परियोजना मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से सभी अधीनस्थ परियोजना/सहायक अभियंता कनीय अभियंता एवं एजेन्सियों को इसकी प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करा देगें और दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता मधेपुरा/उप विकास आयुक्त मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक,उत्तर बिहार विधुत आपूर्ति कॉ0 लि0,पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव,उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।
21/10/16